



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 986/2018

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 205, द्वितीय तल, एम.एम. सिल्वर प्लाजा, उद्योग भवन के सामने, खनन कार्यालय के पास, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़। (बीमाकर्ता)

--- अपीलकर्ता

बनाम

1 - पील सिंह यादव पिता स्वर्गीय श्री टेटकूराम यादव, उम्र लगभग 38 वर्ष, निवासी प्र. नं. 137, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट - जामगांव, तहसील - राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

2 - श्रीमती चंद्रिका बाई यादव, पति श्री पील सिंह यादव, उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी मकान नंबर 137, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट-जामगांव, तहसील-राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। (दावाकर्ता)

3 - वेदराम साहू, पिता स्वर्गीय रामेश्वर साहू, 25 वर्ष निवासी गाँव राजकट्टी, पोस्ट-जामगाँव, तहसील राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़ (मालिक तथा चालक)

--उत्तरवादीगण

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 982/2018

इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, 205, दूसरी मंजिल, एम. एम. सिल्वर प्लाजा, खनन कार्यालय के पास उद्योग भवन के सामने, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1- कुशराम नेताम पिता श्री शंकरलाल नेताम उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी मकान. क्रमांक 132, ग्राम रजकट्टी पोस्ट जामगांव तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

2 - श्रीमती बुद्धि नेताम पति श्री कुशराम नेताम उम्र लगभग 36 वर्ष निवासी मकान. क्रमांक 132, ग्राम रजकट्टी पोस्ट जामगांव तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़



3 - वेदराम साहू पिता स्व.रामेश्वर साहू उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम रजकट्टी पोस्ट जामगांव तहसील राजिम जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़

--उत्तरवादीगण

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 987/2018

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 205, दूसरी मंजिल, एम. एम. सिल्वर प्लाजा, उद्योग भवन के सामने, खनन कार्यालय के पास, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1 - रामेश्वर ध्रुव पिता श्री समरू ध्रुव 41 वर्ष निवासी मकान नं. 151, गाँव राजकट्टी, पोस्ट जामगाँव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

2 - श्रीमती. रामबाई पिता श्री रामेश्वर ध्रुव 38 वर्ष निवासी मकान नं. 151, गाँव राजकट्टी, पोस्ट जामगाँव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

3 - वेदराम साहू, पिता स्वर्गीय रामेश्वर साहू, 25 वर्ष निवासी गाँव राजकट्टी, पोस्ट जामगाँव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 988/2018

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 205, दूसरी मंजिल, एम. एम. सिल्वर प्लाजा, उद्योग भवन के सामने, खनन कार्यालय के पास, रिंग रोड नंबर 1, रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1-ओमप्रकाश साहू पिता श्री समेलाल साहू, उम्र लगभग 37 वर्ष निवासी मकान क्रमांक 47, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।



2 - श्रीमती कमलाबाई पति श्री ओमप्रकाश साहू, उम्र लगभग 35 वर्ष निवासी मकान क्रमांक 47, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

3 - वेदराम साहू पिता स्व.रामेश्वर साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 990/2018

इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 205, दूसरी मंजिल, एम. एम. सिल्वर प्लाजा, उद्योग भवन के सामने, खनन कार्यालय के पास, रिंग रोड, नंबर 1, रायपुर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- अपीलार्थी

बनाम

1- हरिशंकर साहू पिता श्री पन्नालाल साहू, उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी मकान क्रमांक 88, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

2 - श्रीमती ओमिनबाई पति श्री हरिशंकर साहू, उम्र लगभग 29 वर्ष निवासी मकान क्रमांक 88, ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

3 - वेदराम साहू पिता स्व.रामेश्वर साहू, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम रजकट्टी, पोस्ट जामगांव, तहसील राजिम, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

--उत्तरवादीगण

(वाद कारण प्रकरण सूचना प्रणाली से लिया गया है)



बीमा कंपनी हेतु : श्री पी. आर. पाटनकर, अधिवक्ता

दावाकर्ता हेतु : सुश्री विधि मतलानी, अधिवक्ता, श्री संजय
अग्रवाल अधिवक्ता

मालिक तथा चालक हेतु: कोई नहीं

माननीय श्री अमितेंद्र किशोर प्रसाद, न्यायाधीश

पीठ पर निर्णय

17.07.2025

1. चूंकि सभी पांच अपीलें एक ही दुर्घटना से उत्पन्न हुई हैं और उनमें एक ही प्रश्न शामिल है, इसलिए उन्हें एक साथ जोड़ा गया है, एक साथ सुना गया है और इस सामान्य निर्णय द्वारा निराकरण किया जा रहा है।
2. इन सभी अपीलों में चुनौती विद्वान अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) (जिसे आगे दावा अधिकरण कहा जाएगा) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 193/2016, 190/2016, 189/2016, 192/2016 और 191/2016 में पारित दिनांक 13.12.2017 के निर्णय को दी गई है, जिसके तहत विद्वान दावा अधिकरण ने दावाकर्ता के दावा आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार किया, प्रत्येक दावा आवेदन में कुल क्षतिपूर्ति के रूप में 2,55,000/- रुपये का अधिनिर्णय दिया तथा उसमें अनावेदकगण को संयुक्त रूप से और अलग-अलग क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए दायित्व निर्धारित किया।
3. यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नोटिस जारी होने के बाद, दावाकर्ता ने विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति की राशि में वृद्धि के लिए पांच प्रतिप-अपीलें दायर की हैं।
4. इन अपीलों के संक्षिप्त तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, दिनांक 17.10.2015 को लगभग 12.30 बजे, फागेश्वर यादव, कु. भारती, कु. पुत्री ध्रुव, गिरजाशंकर साहू और कु. खुशी साहू स्कूल के अन्य छात्रों के साथ ट्रैक्टर क्रमांक CG-04/HK/5789 और ट्रॉली क्रमांक CG-04/HX/5157 (जिसे आगे 'दुर्घटनाग्रस्त वाहन' कहा जाएगा) से सोनाई-रुपई मंदिर जा रहे थे। जब वे गुंडरदेही गाँव पहुँचे, तो अनावेदक क्रमांक 1 की तेज और लापरवाही से वाहन चलाने के कारण, वाहन ढलान में पलट गया, जिससे 5 बच्चे, अर्थात् फागेश्वर यादव, कु. भारती, कु. पुत्री ध्रुव, गिरजाशंकर साहू और कु. खुशी साहू गिर गए और उन्हें चोटें आईं और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
5. मृत बच्चों के माता-पिता ने अपने बच्चों अर्थात् फागेश्वर यादव, कु. भारती, कु. पुत्री ध्रुव, गिरजाशंकर साहू और कु. खुशी साहू की असामयिक मृत्यु के कारण दावा आवेदन दायर किया, जिनके दावा प्रकरण क्रमांक



193/2016, 190/2016, 189/2016, 192/2016 और 191/2016 थे, जिनमें विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रत्येक दावा प्रकरण में 26,50,000/- रुपए कि क्षतिपूर्ति मांगा गया था।

6. अनावेदक क्रमांक 1/दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक-सह-स्वामी ने अपना लिखित बयान दायर किया और दावा याचिका में किए गए कथनों का खंडन किया तथा अनुरोध किया कि दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा बीमा कंपनी द्वारा किया जा रहा था, इस प्रकार, यदि कोई देयता होगी, तो वह बीमा कंपनी पर होगी।

7. बीमा कंपनी ने दुर्घटना के तथ्य से इनकार करते हुए अपना अलग से लिखित बयान दायर किया है और तर्क दिया है कि कथित दुर्घटना की तिथि पर, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का बीमा कंपनी के पास बीमा नहीं था, इसलिए बीमा कंपनी किसी भी प्रकार के क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि पंजीकरण संख्या CG-04/HK/5157 वाली ट्रॉली को किसी भी यात्री को ले जाने की अनुमति नहीं थी और ऐसे किसी भी यात्री के जोखिम को कवर करने के लिए कोई बीमा प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया था। अतः, बीमा कंपनी उक्त ट्रॉली पर यात्रा कर रहे व्यक्तियों की मृत्यु से उत्पन्न किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती है। यह भी तर्क दिया गया है कि कि ट्रॉली के मालिक के पास यात्रियों को ले जाने के लिए वैध परमिट या फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं था, न ही वह उक्त दुर्घटनाग्रस्त वाहन को यात्रियों के परिवहन वाहन के रूप में चलाने के लिए अधिकृत था। अंत में यह तर्क दिया गया है कि बीमा कंपनी और उक्त ट्रैक्टर के मालिक को प्रतिवादी पक्ष के रूप में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए, आवश्यक पक्षों के शामिल न होने के कारण, दावा आवेदन खारिज किए जाने योग्य हैं। इसके अलावा, यह अनुरोध किया जाता है कि चूंकि चालक ने बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए दुर्घटनाग्रस्त वाहन चलाया था, इसलिए बीमा कंपनी को किसी भी प्रकार का मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

8. पक्षकारों द्वारा किए गए अभिवचनों की सराहना करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात, विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने मृतक बच्चों की आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष निर्धारित की है तथा 15 का गुणक लागू करने पर आय की हानि 2,25,000/- रुपये आंकी गई है। विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000 रुपये और संपत्ति की हानि के लिए 15,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, इस प्रकार मृतक बच्चों के माता-पिता द्वारा दायर प्रत्येक दावा आवेदन में दावेदारों को कुल 2,55,000 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया गया, साथ ही दावा आवेदन की दिनांक से वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दिया गया और क्षतिपूर्ति की राशि को पूरा करने का दायित्व अनावेदकगण पर डाल दिया गया।

9. यद्यपि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक-सह-मालिक को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन नोटिस की तामील के बावजूद, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक-सह-मालिक की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।



10. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दुर्घटना में घायल वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए चलाया जा रहा था, इसलिए बीमा कंपनी को उसके दायित्व से मुक्त किया जाए और दायित्व दुर्घटना में घायल वाहन के चालक-सह-मालिक पर लगाया जाए। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति की उचित राशि निर्धारित की है। उन्होंने आगे तर्क दिया गया कि दुर्घटना की तिथि पर, मृतक बच्चे छात्र थे और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि में कोई राशि जोड़ना उचित नहीं होगा। छत्तीसगढ़ मोटर वाहन नियम, 1994 (संक्षेप में, '1994 के नियम') के नियम 97 के उप-नियम (7) (ii) पर भरोसा करते हुए तर्क दिया गया है कि यदि उक्त नियम को ध्यान में रखा गया है, तो भी पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था क्योंकि दुर्घटना के समय, 72 बच्चे दुर्घटनाग्रस्त वाहन पर यात्रा कर रहे थे और नियम 97 के उप-नियम 7 (ii) के अनुसार, केवल 20 व्यक्तियों को हल्के मोटर वाहन में यात्रा करने की अनुमति है, अर्थात् मेला, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य औपचारिक अवसरों के लिए 7300 किलोग्राम से कम।

11. दूसरी ओर, दावाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति कम है और इसे उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। अपने तर्कों के समर्थन में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किशन गोपाल एवं अन्य बनाम लाला एवं अन्य (2014) 1 एससीसी 244 में दर्ज मामलों और मीना देवी बनाम जुनु चंद महतो उर्फ नेमचंद महतो एवं अन्य (2023) 1 एससीसी 204 में दर्ज मामलों में दिए गए निर्णयों का उल्लेख दिया गया है।

12. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और दावा मामलों के अभिलेखों का अवलोकन किया है।

13. मोटर दुर्घटना दावा मामले में, महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित होना चाहिए। यह न तो क्षतिपूर्ति की मामूली राशि होनी चाहिए, न ही कोई अतिरिक्त लाभ।

14. अब यह न्यायालय इस बात की जाँच करता है कि क्या सभी पाँच दावा आवेदनों में दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया 2,55,000/- रुपये का क्षतिपूर्ति, मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार न्यायसंगत और उचित है।

15. दावा मामले के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि मृतक बच्चे छात्र थे और उनकी आयु क्रमशः लगभग 12 वर्ष और 13 वर्ष थी (फगेश्वर यादव, 12 वर्ष; कु. भारती, 13 वर्ष, कु. पुत्री ध्रुव, 13 वर्ष; गिरजाशंकर साहू, 13 वर्ष और कु. खुशी साहू, 12 वर्ष) और उनके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, ऐसा विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा पाया गया है और आय की हानि के आधार पर, उनकी आय 15,000/- रुपये प्रति वर्ष आंकी गई है।



16. मीना देवी (सुप्रा) के मामले में नाबालिग बच्चे की मृत्यु के संबंध में क्षतिपूर्ति देने के विवादक पर विचार करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशन गोपाल (सुप्रा) के निर्णय पर भरोसा करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की है:---

“16. इस प्रकार, वर्तमान मामले में बच्चे की आयु अर्थात् 12 वर्ष को देखते हुए, उक्त निर्णयों के अनुपात को लागू करते हुए, किशन गोपाल (सुप्रा) में प्रतिपादित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों पर उपयुक्त रूप से लागू होते हैं। मृतक की माँ के प्रत्यक्ष कथन के अनुसार, यह स्पष्ट है कि मृतक एक मेधावी छात्र था और एक निजी स्कूल में पढ़ रहा था। अतः, भविष्य की संभावना सहित 30,000/- रुपये की काल्पनिक आय को स्वीकार करते हुए और सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य [(2009) 6 एससीसी 121] में इस न्यायालय के निर्णय के तहत 15 का गुणक लागू करते हुए, आश्रितता की हानि 4,50,000/- रुपये आती है और यदि हम पारंपरिक शीर्षों में 50,000/- रुपये जोड़ते हैं, तो मुआवजे की कुल राशि 5,00,000/- रुपये आती है। एम. ए. सी. टी. के निर्णय के अनुसार, 1,50,000/- रुपये का एकमुश्त क्षतिपूर्ति दिया गया है, जबकि उच्च न्यायालय ने इसे दावा याचिका के मूल्य तक बढ़ाकर 2,00,000/- रुपये कर दिया है। हमारे विचार में, ऊपर की गई गणना के अनुसार क्षतिपूर्ति की उक्त राशि न्यायसंगत और उचित नहीं है। इसलिए, हम कुल क्षतिपूर्ति 5,00,000/- रुपये निर्धारित करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा दी गई राशि अर्थात् 2,00,000/- रुपये को घटाने पर, बढ़ी हुई राशि 3,00,000/- रुपये हो जाती है।”

17. वर्तमान मामलों के तथ्यों पर वापस लौटते हुए, यह सुस्पष्ट है कि मृतक बच्चे, अर्थात् फगेश्वर यादव की आयु लगभग 12 वर्ष थी; कु. भारती की आयु लगभग 13 वर्ष थी, कु. पुत्री ध्रुव की आयु लगभग 13 वर्ष थी; गिरजाशंकर साहू की आयु लगभग 13 वर्ष थी और कु. खुशी साहू की आयु लगभग 12 वर्ष थी, दुर्घटना की तिथि पर क्रमशः, और छात्र थे और विद्वान दावा न्यायाधिकरण ने कुल क्षतिपूर्ति 2,55,000/- रुपये का आदेश दिया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मीना देवी (सुप्रा) और किशन गोपाल (सुप्रा) के मामलों में दिए गए निर्णय के तहत 30,000/- रुपये प्रति वर्ष तक बढ़ाने की आवश्यकता है।

18. उपरोक्त कारणों से और वर्तमान मामले में बच्चे की आयु को देखते हुए, अर्थात् फगेश्वर यादव की आयु लगभग 12 वर्ष थी; कु. भारती की आयु लगभग 13 वर्ष थी, कु. पुत्री ध्रुव की आयु लगभग 13 वर्ष थी; गिरजाशंकर साहू की आयु लगभग 13 वर्ष थी और कु. खुशी साहू की आयु लगभग 12 वर्ष थी, और भविष्य की संभावनाओं सहित 30,000/- रुपये प्रति वर्ष की काल्पनिक आय को स्वीकार करते हुए और सरला वर्मा (सुप्रा) के निर्णय के तहत 15 का गुणक लागू करते हुए, आश्रितता की हानि 4,50,000/- रुपये होती है। सभी पाँच दावा याचिकाओं में दावाकर्ता अन्य पारंपरिक मदों के लिए 50,000/- रुपये के अतिरिक्त हकदार हैं। इसलिए, वे नाबालिग छात्रों की मृत्यु पर कुल 5,00,000/- रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे।



19. इस प्रकार, कुल क्षतिपूर्ति की गणना 5,00,000/- रुपये के रूप में की जाती है। दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए 2,55,000/- रुपये की कटौती के बाद, सभी पांच दावा याचिकाओं में वृद्धि 2,45,000/- रुपये होगी।

20. बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतिकरण यह है कि बीमा पॉलिसी का उल्लंघन केवल इस सीमा तक हुआ था कि दुर्घटना के समय दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 20 से अधिक यात्री सवार थे, इस प्रकार 1994 के नियम 97 के उप-नियम (7)(ii) के तहत पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन हुआ था, इसलिए, यह निर्देश दिया जा सकता है कि बीमा कंपनी पहले अधिनिर्णय की राशि का भुगतान करे और उसके बाद दोषी वाहन के मालिक से उसे वसूल करे।

21. इस स्तर पर, आसान संदर्भ के लिए 1994 के नियम 97 के उप-नियम (7) (ii) को उद्धृत करना सुसंगत होगा:---

"97. माल वहन में व्यक्ति का वहन।---

* * * * * 12

(7) उपनियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु उपनियम (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, औद्योगिक संगठन, नगरपालिका संस्थाओं, जल प्रदाय संस्थाओं और गैर-कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रेलरों को छोड़कर, जिनका भार 7300 किलोग्राम से अधिक न हो, ऐसे ट्रैक्टर-ट्रेलरों का उपयोग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए किया जा सकेगा-----

(i) कृषि या कृषि से संबंधित किसी भी उद्देश्य के लिए, जिसमें कृषि से संबंधित वस्तुओं का क्रय-विक्रय भी शामिल है, श्रमिकों और कृषक के परिवार के सदस्यों को ले जाने के लिए।

(ii) मेले, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य समारोहों के समय व्यक्तियों को ले जाने के लिए, बशर्ते कि इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या एक समय में 20 से अधिक न हो।"

22. उप-नियम (7) का खंड (ii) ट्रैक्टर-ट्रेलरों के उपयोग की अनुमति देता है, जो औद्योगिक संगठनों, नगरपालिका संस्थानों, जल आपूर्ति संस्थानों और गैर-कृषि सहकारी समितियों के नाम पर पंजीकृत हैं और जिनका भार रहित वजन 7300 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एक विशिष्ट और सीमित उद्देश्य के लिए। यह प्रावधान ऐसे वाहनों को विशेष सामाजिक और सांस्कृतिक अवसरों पर लोगों को ले जाने की अनुमति देता है। इन अवसरों में मेले, बाजार, धार्मिक समारोह, विवाह और अन्य औपचारिक कार्यक्रम शामिल हैं। हालाँकि,

यह अनुमति अप्रतिबंधित नहीं है। एक स्पष्ट और अनिवार्य शर्त यह लगाई गई है कि किसी भी समय इस प्रकार ले जाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होगी। यह सीमा स्पष्ट रूप से यात्रियों की सुरक्षा



सुनिश्चित करने और ऐसे वाहनों के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से है, जो अन्यथा लोगों के सामूहिक परिवहन के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं। विशिष्ट उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के बाद "अन्य औपचारिक अवसरों" को शामिल करने से संकेत मिलता है कि यह खंड विभिन्न प्रकार के प्रथागत, सामाजिक और धार्मिक समारोहों को कवर करने के लिए है, जिनमें आम तौर पर सीमित संख्या में लोग शामिल होते हैं और जो अस्थायी या कभी-कभार होने वाले होते हैं। उक्त प्रावधान के पीछे स्पष्टतः ग्रामीण और अर्ध-शहरी समुदायों की व्यावहारिक आवश्यकताओं को पूरा करना है, जहाँ ऐसे वाहनों का उपयोग अक्सर बहुउद्देशीय गतिविधियों के लिए किया जाता है, लेकिन सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था की सीमाओं के भीतर। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस खंड की व्याख्या इस प्रकार नहीं की जा सकती है कि इससे नियमित यात्री परिवहन या ऐसे वाहनों का निर्धारित सीमा से अधिक या निर्दिष्ट अवसरों के बाहर लोगों को ले जाने के लिए व्यावसायिक उपयोग की अनुमति मिल जाए।

23. इस मामले के इस दृष्टिकोण से, यह न्यायालय बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों को बलपूर्ण पाता है। तदनुसार, यह न्यायालय निर्देश देता है कि बीमा कंपनी प्रथम दृष्टया अधिनिर्णय को संतुष्ट करेगी और कानून के अनुसार उल्लंघनकर्ता वाहन के स्वामी से उसे वसूलने की हकदार होगी।

24. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम चन्ना भारतम्मा एवं अन्य (2004) 8 एससीसी 517 के मामले में भुगतान और वसूली के सिद्धांत पर विचार किया है। उक्त निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है:---

"13. शेष प्रश्न यह है कि उचित निर्देश क्या होगा। अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, बीमाकर्ता के लिए पंचाट को संतुष्ट करना उचित होगा, हालाँकि कानूनन उसकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। कुछ मामलों में बीमाकर्ता को बीमित व्यक्ति से राशि वसूलने का विकल्प और स्वतंत्रता दी गई है। मालिक से भुगतान की गई राशि वसूलने के उद्देश्य से, बीमाकर्ता को वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं होगी। वह संबंधित निष्पादन न्यायालय के समक्ष कार्यवाही शुरू कर सकता है जैसे कि बीमाकर्ता और मालिक के बीच विवाद न्यायाधिकरण के समक्ष निर्णय का विषय था और मामला मालिक के विरुद्ध तथा बीमाकर्ता के पक्ष में निर्धारित किया गया है। दावाकर्ता को राशि जारी करने से पहले, दुर्घटनाग्रस्त वाहन का मालिक उस पूरी राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करेगा जो बीमाकर्ता दावाकर्ता को भुगतान करेगा। सुरक्षा के एक भाग के रूप में, दुर्घटनाग्रस्त वाहन को कुर्क किया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो निष्पादन न्यायालय संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की सहायता लेगा। निष्पादन न्यायालय, वाहन स्वामी द्वारा बीमाकर्ता को भुगतान करने के तरीके के संबंध में कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करेगा। यदि कोई चूक होती है तो निष्पादन न्यायालय को यह अधिकार होगा कि वह प्रस्तुत की जाने वाली प्रतिभूतियों या वाहन के स्वामी अर्थात् बीमाकृत व्यक्ति की किसी अन्य संपत्ति या संपत्तियों के निराकरण द्वारा वसूली का निर्देश दे। वर्तमान मामले में, सम्मिलित राशि पर विचार करते हुए हम यह निर्णय बीमाकर्ता के विवेक पर छोड़ते हैं कि वह बीमित व्यक्ति से राशि की वसूली के लिए कदम उठाएगा या नहीं।"



25. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में मनुआरा खातून एवं अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य और मामोनी सैकिया मोहंती एवं अन्य बनाम राजेश कुमार सिंह एवं अन्य (2017) 4 एससीसी 796 में रिपोर्ट किए गए मामले में, इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया:---

“19. हमें किसी भी प्रस्तुति में कोई सार नहीं दिखता है। सबसे पहले, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हमें इस मामले और नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम साजू पी. पॉल, (2013) 2 एससीसी 41 के तथ्यों में स्पष्ट समानता दिखती है। दूसरी बात, सिर्फ इसलिए कि दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति अभी तक नहीं दिया गया है, हालाँकि यह मामला साजू पी. पॉल केस (सुप्रा) की तरह काफ़ी पुराना (16 साल) है, यह दावाकर्ता को इन अपीलों में दावा की गई अनुतोष से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है। तीसरा, इस न्यायालय ने पहले ही एक बड़ी पीठ के समक्ष संदर्भ के लंबित होने के कारण दावा की गई प्रकृति की अनुतोष न देने के संबंध में तर्क पर विचार किया है और उसे खारिज कर दिया है, जैसा कि साजू पी. पॉल केस (सुप्रा) में निर्णय के कंडिका 26 से स्पष्ट होगा। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में कहा कि बड़ी पीठ को भेजे गए संदर्भ को इस विवाद को अनिर्णीत रखते हुए निराकरण दिया गया है। इसी कारण से यह तर्क अब और अस्तित्व में नहीं है।

21. पूर्वगामी चर्चा के तहत, हमारा विचार है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (उत्तरवादी संख्या 3) – वे उस दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता हैं जो अपने चालक की लापरवाही के कारण दुर्घटना का कारण बनने में शामिल पाया गया था – को निर्देश जारी किए जाने की आवश्यकता है कि वे (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उत्तरवादी संख्या 3) पहले अपीलकर्ताओं (दावाकर्ता) को दी गई राशि का भुगतान करें और फिर दुर्घटनाग्रस्त वाहन (टाटा सूमो) के मालिक – उत्तरवादी संख्या 1 से भुगतान की गई राशि को इस मामले में उत्पन्न निष्पादन कार्यवाही में साजू पी. पॉल के मामले के कंडिका 26 में दिए गए कानून के अनुसार वसूल करें।

22. तदनुसार, अपीलें सफल होती हैं और स्वीकार की जाती हैं। आक्षेपित आदेश को इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि उत्तरवादी संख्या 3 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को तदनुसार अपीलकर्ताओं (दावाकर्ता) को अधिनिर्णीत राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। इसके बाद उत्तरवादी संख्या 3 – यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, बीमाधारक के खिलाफ निष्पादन आवेदन दायर करके इन कार्यवाहियों में उत्तरवादी संख्या 1 – दुर्घटनाग्रस्त वाहन (टाटा सूमो) के मालिक (बीमित) से संपूर्ण भुगतान की गई राशि वसूलने का हकदार होगा।”

26. हाल ही में, अमृत पॉल सिंह एवं अन्य बनाम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एवं अन्य मामले में (2018) 7 एससीसी 558 में रिपोर्ट किए गए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है:---



धारा 66 में उल्लिखित अपवादों की श्रृंखला को देखते हुए, हम ऐसा सोचने को तैयार हैं। उक्त स्थितियों को लाइसेंस की अनुपस्थिति या नकली लाइसेंस या किसी अन्य प्रकार के वाहन के लाइसेंस, या, इस मामले में, अधिक यात्रियों को ले जाने की शर्त के उल्लंघन के बराबर नहीं माना जा सकता है। अतः, इस संबंध में स्वर्ण सिंह (सुप्रा) और लखमी चंद (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत इस मामले पर लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, बीमाकर्ता ने यह तर्क दिया था कि विचाराधीन वाहन के पास कोई अनुज्ञा नहीं था। किसी भी प्रकार के अनुज्ञा का अस्तित्व दस्तावेज़ी साक्ष्य का विषय है, यह "त्रिपिटक" के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। बीमित व्यक्ति द्वारा यह साबित करने के लिए कोई भी साक्ष्य अभिलेख में नहीं लाया गया है कि उसके पास वाहन का अनुज्ञा था। ऐसी स्थिति में, बीमाकर्ता पर दायित्व नहीं डाला जा सकता है। अतः, न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय ने बीमाकर्ता को निर्देश दिया था कि वह दावाकर्ता को ब्याज सहित क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करे, इस शर्त के साथ कि बीमाकर्ता इसे मालिक और चालक से वसूलने का हकदार होगा। उक्त निर्देश स्वर्ण सिंह (सुप्रा) तथा भुगतान एवं वसूली सिद्धांत से संबंधित अन्य मामलों में वर्णित सिद्धांतों के अनुरूप हैं।”

27. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित अनुपात को ध्यान में रखते हुए तथा मोटर वाहन अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को भी ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का यह मत है कि न्याय के व्यापक हित में यह होगा कि बीमाकर्ता को निर्देश दिया जाए कि वह पहले दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करे तथा तत्पश्चात उसे बीमित व्यक्ति अर्थात् दुर्घटनाग्रस्त वाहन के स्वामी से विधि के अनुसार वसूल करे, यद्यपि विधि में क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करना उसका दायित्व नहीं है।

28. परिणामस्वरूप: (i) दावाकर्ता द्वारा दायर प्रतिप-अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। सभी पाँच दावा मामलों में दावाकर्ता, दावा न्यायाधिकरण द्वारा पहले से दिए गए निर्णय के अतिरिक्त 2,45,000/- रुपये पाने के हकदार हैं। बढ़ी हुई राशि पर निर्णय की तिथि से उसकी वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज लगेगा। तथापि, विद्वान दावा न्यायाधिकरण द्वारा आक्षेपित निर्णय में लगाई गई शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(ii) बीमा कंपनी द्वारा दायर अपीलें एमएसी संख्या 986/2018, 987/2018, 988/2018, 990/2018 और 982/2018 को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। बीमा कंपनी को हालांकि दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति देने के अपने दायित्व से मुक्त कर दिया गया है, लेकिन एम.वी. अधिनियम के लाभकारी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और साथ ही ऊपर संदर्भित मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय दुर्घटनाग्रस्त वाहन के बीमाकर्ता अर्थात् अपीलकर्ता को निर्देश देता है कि वह पहले दावाकर्ता को क्षतिपूर्ति दे और उक्त राशि को सभी अपीलों में अनावेदक संख्या 1/उत्तरवादी संख्या 3, दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक-सह-मालिक से ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्री नंजप्पन और अन्य के मामले में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुसार वसूल करे, जिसकी रिपोर्ट एआईआर 2004 एससी 1631 में दी गई है।



29. चूंकि इस न्यायालय का यह मत है कि बीमा कंपनी पहले क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान करेगी, इसलिए बीमा कंपनी को निर्देश दिया जाता है कि वह इस निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर इस न्यायालय द्वारा संशोधित क्षतिपूर्ति की पूरी राशि दावाकर्ता को अदा करे और तत्पश्चात विधि के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक-सह-स्वामी से उक्त राशि वसूल करे।

30. संबंधित मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का अभिलेख भेजा जाए।

सही/-
(अमितेंद्र किशोर प्रसाद)
न्यायाधीश



(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक



*प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और
कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*

